



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252748
CG-DL-E-08032024-252748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945

No. 56]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2024/PHALGUNA 18, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2024

फा. सं. 13018/1/2022-अ.भा.से-I.—भारत के राजपत्र, असाधारण के खण्ड 1, भाग-I में दिनांक 01 फरवरी, 2023 को प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा नियम-2023 के नियम 28 के नीचे निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाता है:-

“बशर्ते कि संघ लोक सेवा आयोग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (आरक्षण प्रभाग) द्वारा जारी पत्र सं. 36039/15/2023-स्था.(आरईएस-II) दिनांक 29 फरवरी, 2024 के आधार पर, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे उम्मीदवार जिनके द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र पर नायब तहसीलदार / नायब तहसीलदार के समकक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं और वह सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 के आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले जारी किया गया है, तो वे उसी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र की एक प्रति तहसीलदार / सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रति-हस्ताक्षरित करवाकर आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद भी, लेकिन 28 मार्च, 2024 तक जमा करा सकते हैं, ताकि सिविल सेवा परीक्षा, 2023 के लिए उनके दावों पर विचार किया जा सके।”

चारुलता सोमल, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2024

F. No. 13018/1/2022-AIS-I.—In the Civil Services Examination Rules-2023 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 1st February, 2023, the following proviso is inserted below Rule 28:—

“Provided that in respect of candidates seeking reservation/relaxation benefits available for EWS category on basis of letter No. 36039/15/2023-Estt.(Res.-II) dated 29th February, 2024, issued by the Department of Personnel and Training (Reservation Division) to the Union Public Service Commission, it is clarified that candidates, who have submitted the requisite Income & Asset Certificate signed by the Naib Tehsildar / authority equivalent to Naib Tehsildar and issued not later than the closing date of the application for Civil Services (Preliminary) Examination-2023, may submit a copy of the same Income & Asset Certificate duly counter signed by the Tehsildar / the Competent Authority, even after the closing date, to the Commission up to 28th March, 2024, only, in order for their claims to be considered for the Civil Services Examination-2023.”

CHARULATA SOMAL, Dy. Secy.